# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 13/2016

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम
अभिहित अधिकारी, नागौर

1मुकेश कुमार पुत्र श्यामसुंदर अग्रवाल
निवासी सदर बाजार, नागौर
फर्म–श्यामसुंदर मुकेश कुमार, सदर बाजार, नागौर।
2भाटीया एजेन्सीज, स्टेशन रोड, बीकानेर।
3बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि. F-196-197,
बीछवाल इन्ड. एरिया बीकानेर 334006

## आदेश

दिनांक :12.03.2020

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 22.08.2015 को श्यामसुंदर मुकेश कुमार, सदर बाजार, नागौर पर खाद्य पदार्थ सोन पपडी (Bikaji Brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 779 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 611/एक्ट/2015/611 दिनांक 02.09.15 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना सोन पपडी (Bikaji Brand) Mis-Branded होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण मुकेश कुमार पुत्र श्यामसुंदर अग्रवाल निवासी सदर बाजार, नागौर, भाटीया एजेन्सीज, स्टेशन रोड, बीकानेर तथा बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि. F-196-17, बीछवाल इन्ड. एरिया बीकानेर 334006 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 02-06-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर श्री अनिल गौड अधिवक्ता ने दिनांक 14.09.16 को वकालतनामा तथा दिनांक 12.04.17 व 10.11.17 को जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री रूघाराम जोगपाल अधिवक्ता ने दिनांक 10.08.16 को वकालतनामा तथा दिनांक 08.03.17 को जवाब पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपना जवाब दिनांक 08.03.17 को पेश किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा वकील अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.08.15 को खाद्य पदार्थ सोन पपडी का नमूना अप्रार्थी सं. 1 के कारोबार स्थल से लिया गया। जो जांच मे मिसब्रान्ड एवं सब स्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब दिनांक 12.04.17 मे गलती स्वीकार करते हुए भविष्य मे पुनरावृति नही करने हेतु आश्वस्त भी किया गया है। जबकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा सोन पपडी संबंधित कोई मानक निर्धारित नही होना बताया गया है। सोन पपडी खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आती है तथा जांच मे भी सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पायी गई है। नमूना सं. क्यू–779 सोन पपडी दिनांक 22.8.15 को लिया जाकर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को भिजवाया गया। जिनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर रजि. पत्र दिनांक 24.11.15 के द्वारा अप्रार्थीगण को अगर वो इस नमूने की पुनः रेफरल लेब से जांच कराना चाहते है तो 30 दिवस मे अपील प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। मगर ऐसा नही करने पर अभिहित अधिकारी द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 36 की उपधारा 3 (e) के तहत दिनांक 31.12.15 को प्राधिकृत करने पर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। जो विधि अनुसार है। नमूना से संबंधित कार्यवाही सभी नियमानुसार की गई है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा नमूने की कार्यवाही को अस्वीकार करते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एवं नियमो के बंधनकारी एवं आज्ञापक प्रावधानो की पालना नही किया जाना बताया गया है।

4. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 611/एक्ट/2015/611 दिनांक 02.09.15 के अनुसार सोन पपडी (Bikaji Brand) का नमूना Sub-Standard तथा Mis-Branded पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 मुकेश कुमार पुत्र श्यामसुंदर अग्रवाल निवासी सदर बाजार, नागौर, पर रू. 50,000/– अक्षरे पचास हजार रू., अप्रार्थी सं. 2 भाटीया एजेन्सीज, स्टेशन रोड, बीकानेर पर रू. 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रू. तथा अप्रार्थी सं. 3 बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि. F-196-17, बीछवाल इन्ड. एरिया बीकानेर



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

334006 पर 1,50,000/— अक्षरे एक लाख पचास हजार रू. कुल रू. 3,00,000/— अक्षरे रूपये तीन लाख शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

5. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(मनोज कुमार)**
**अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)